कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी, कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग, कालसी।

पत्रांक– 582 /12–1,दिनांक, कालसी, 15.09.2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय : जनपद देहरादून के विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–II से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/126632/2021)

सन्दर्भ : भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 एवं कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून का पत्रांक–1702/25सी0 (व0भू0)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्ताव संख्या–FP/UK/UK/126632/2021 में भारत सरकार के पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 से लगाई गई आपत्ति का निराकरण प्रस्तावक विभाग एवं इस कार्यालय द्वारा निम्न प्रकार किया गया है–

क्र. सं.	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
1	प्रस्तावित ग्राम आमवाला–मल्लावाला–साल के घने वन क्षेत्र तथा पुर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिक्रमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।	उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम आमवाला–मल्लावाला चक के रूप में इस वन प्रभाग की लांघा रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र द0विन्हार–5 व 6 के मध्य विद्यमान है। उक्त क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है। इस बावत प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
2	ग्राम का अंतिम विन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के विन्दु क्रं0 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम विन्दु की तरफ से केवल विन्दु क्रमांक 22–28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
3	ग्राम पष्टा से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक संमरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पष्टा से वैकल्पिक संमरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुल्नात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
4	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के0एम0एल0 फाईल पर अंकित किया जाए।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
5	Details tilled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून के पत्रांक–2924/26सी0, दिनांक 08.08.2022 द्वारा आपत्ति का निराकरण किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।
6	Blank space plantation scheme of Rs. 650000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to proposal the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभाग द्वारा रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है तथा सी0ए0 की संशोधित धनराशि का आंकलन ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
7	Road-side plantation scheme of Rs. 3286211/- oyher than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	प्रभाग द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण की धनराशि का आंकलन, प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

	आपत्ति	आपत्ति के निराकरण हेतु की जा रही कार्यवाही
8	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha.) logically the CA stipulate should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity if any is required to be clarified suitably.	अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा जारी District profile के अनुसार आंकड़े अपलोड कर दिये गये हैं। District profile की प्रति संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि भारत सरकार की पत्रांक–8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022 के द्वारा लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जा रही है कि उक्त आख्या को अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

प्रतिलिपि : अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देहरादून को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
भू0सं0 वन प्रभाग, कालसी।

Scanned with OKEN Scanner

परियोजना का नाम– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–221/2013 के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला–मल्लावाला II से पीपलसार तक भूड़ से सड़क के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

अतिक्रमण सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर में प्रस्तावित मोटर मार्ग योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजना ग्राम आमवाला–मल्लावाला चक के रूप में इस वन प्रभाग की लांघा रेंज के आरक्षित वन क्षेत्र द0विन्हार–5 व 6 के मध्य विद्यमान है। उक्त क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी लांघा राजि, लांघा।

पत्रांक– 520/12–1 , दिनांक, लांघा, 31 मई 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

द्वारा :– उप–प्रभागीय वनाधिकारी, सहसपुर।

विषय :– जनपद– देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में आपके कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूचना निम्न प्रकार है –

" ग्राम आमवाला – मल्लावाला चक के रूप में आरक्षित वन क्षेत्र के मध्य में विद्यमान है। उक्त क्षेत्र में आरक्षित वन भूमि पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। "

अतः रिपोर्ट सूचनार्थ सेवा में प्रेषित है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)
वन क्षेत्राधिकारी
लांघा रेंज, लांघा।

D/man

D.F.O
26/22

Scanned with OKEN Scanner

Phone :–0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून
Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand
Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: eecdpwdddn@rediffmail.com

पत्रांक 1702/25 सी0 (व0मू0) दिनांक 27/05/2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी

विषयः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/Road/126632/2021)।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक 8बी/यू.सी.पी./06/141/2021/एफ0सी0/1372 दि0 07/01/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उक्त वनभूमि प्रस्ताव पर जो आपत्ति लगाई गई थी उक्त आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर लिया गया है:–

1 (i)	प्रस्तावित ग्राम आमवाला–मल्लावाला –'साल' के घने वन क्षेत्र तथा पूर्ण रूप से आरक्षित वन के मध्य स्थित है। संबंधित वन मंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यह अतिकमण क्षेत्र तो नहीं है तथा इस हेतु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दी जानी है।
(ii)	ग्राम का अंतिम बिन्दु की तरफ से डिजिटल मैप के बिन्दु क0 22 से 28 तक जोड़ने पर भी connectivity दी जा सकती है। अतः इस मार्ग में 6 मीटर चौड़ाई का प्रत्यावर्तन मान्य नहीं किया जाएगा। अतः अंतिम बिन्दु की तरफ से केवल बिन्दु कमांक 22–28 तक 6 मीटर चौड़ाई में पुनरीक्षित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(iii)	ग्राम पास्ता से कम घनत्व के क्षेत्र से भी मार्ग प्रस्तावित किया जा सकता है जिस वैकल्पिक संमरेखण का कोई परीक्षण नहीं किया गया है। ग्राम पास्ता से वैकल्पिक समरेखण का सम्पूर्ण विवरण तुलनात्मक चार्ट में प्रेषित किया जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
(iv)	वर्तमान में ग्रामवासियों के आवागमन के मार्ग की जानकारी प्रस्तुत करते हुए के०एम०एल० फाईल पर अंकित किया जाए।	प्रमाण पत्र संलग्न।
2 -	Details tilled at para B-1 is not relevant to this proposal and therefore required to be removed.	Online uploaded.
3 -	Blank space plantation scheme of Rs. 6,50,000/- other than CA uploaded online. State Govt. is requested to propose the estimate for CA only as per the guideline.	Online uploaded.
4 -	Road-side plantation scheme of Rs.32,86,211/- other than CA uploaded online. State Govt is requested to propose the estimate for CA only as per the guidelines.	Online uploaded.

Scanned with OKEN Scanner

5-	It is seen from the data given in para-14 of online part-II i.e. district profile that the CA stipulated (6678 ha) is not commensurate to the forest land diverted (21455 ha). Logically, the CA stipulated should be approximately double the area of forest land diverted and the disparity, if any, is required to be clarified suitably.	प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय द्वारा दी जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने की कृपा करें ताकि उक्त मार्ग की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

(इं0 राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
नि0ख0, लो0नि0वि0,
देहरादून।

पत्रांक /25 सी0 (व0भू0) दिनांक / /2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मा0 विधायक, विकासनगर विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा भवन उत्तराखण्ड देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी देहरादून।
3. वन संरक्षक शिवालिक वृत्त देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, नवम् वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून।
5. श्री प्रदीप कुमार सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
6. श्री श्रीचरण सिंह गुसाई खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0ख0, लो0नि0वि0, देहरादून।

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत धर्मावाला की माजरा (हरिजन बस्ती) आगवाला, मल्लावाला–।। से पीपलसार तक भूड़ से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पीपलसार को विन्दु सं0 28 से जोड़ने पर ग्रामवासियों को अपने गांव/तौक तक पहुंचने में 12 किमी0 की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ेगी मोटर मार्ग की विशिष्टियों के अनुसार मोटर मार्ग की चौड़ाई 6 मी0 + 0.90 मी0 अतिरिक्त बाईडिग कुल 6.90 मी0 होती है। इसलिए मोटर मार्ग को 6.90 मी0 चौडाई से कम में प्रस्तावित/निर्माण नहीं कराया जा सकता है। 7.00 मी0 से कम चौडाई में मोटर मार्ग का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। इसलिए 6 मी0 चौड़ाई में प्रस्ताव को पुनरीक्षित करना संम्भव नहीं है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

Scanned with CamScanner
Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः–   जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत [illegible] की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–।। से पीपलसार तक मुड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि मार्ग निर्माण हेतु विभाग द्वारा दो समरेखण पर सर्वेक्षण किया गया। समरेखण सं0 2 पर अत्याधिक वनभूमि व वृक्षों की सं0 अधिक होने के कारण समरेखण सं0 2 को निरस्त किया गया तथा समरेखण सं0 1 के अनुसार प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

(प्रपत्र–13)

र्य का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की गजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला II से पीपलसार तक भूड से सड़क का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई– 6.500 किमी0)

विभिन्न विकल्पों का तुलनात्मक विवरण व उनके निरस्त किये जाने के कारण का प्रमाण–पत्र

मरेखण नं0	प्रभावित वन भूमि (है0 में)	प्रभावित वृक्षों की संख्या	मार्ग की लम्बाई (कि0मी0 में)	अन्य कारण (एच0पी0 बैण्ड आदि)
मरेखण–1	3.9550 है0	679	6.500	–
मरेखण–2	4.0950 है0	772	6.800	–

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी
लांघा रेंज

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी
उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भूसंरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

Scanned with OKEN Scanner

(प्रपत्र–13(ग)) 30

[illegible] का नाम :– मा0 मुख्यमंत्री घोषणा सं0–221/2013 के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की गजरा (हरिजन बस्ती) आगवाला, गल्लावाला II से पीपलसार तक भूख से सडक का नव निमार्ण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

(लम्बाई– 6.500 किमी0)

वैकल्पिक समरेखणों के निरस्त किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रस्तावित परियोजना हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया। समरेखण – 1 एंव समरेखण–2 निम्नलिखित तुलनात्मक [अध्यय]न के उपरान्त समरेखण–1 को तकनीकी, पर्यावरणीय, भूगर्भीय एंव मितव्ययी दृष्टि से उपयुक्त पाया गया। जिस कारण [सम]रेखण–2 को निरस्त कर दिया गया एंव समरेखण–1 को स्वीकार किया गया। जिनका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

विवरण	समरेखण–1	समरेखण–2
तकनीकी दृष्टिकोण से	इस समरेखण मे सडक मार्ग की लम्बाई 6.500 किमी0 आती है, 11 एच0पी0 बैण्ड आते है।	इस समरेखण मे सडक मार्ग की लम्बाई 6.800 किमी0 आती है समरेखंण 2 की तुलना में इस समरेखंण में अधिक वन भूमि की आवश्यकता होगी।
भूगर्भिय आख्या के अनुसार	इस समरेखण को भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण करने पर उपयुक्त पाया गया। भू–वैज्ञानिक दृष्टि से मार्ग ज्यादातर कठोर चट्टान से होकर गुजरता है। जिससे मलवा सडक मार्ग निर्माण में प्रयोग किया जा सकता है। जिस कारण मलवा वनभूमि में नही गिरेगा एंव भविष्य में स्लिप जोन बनने की सम्भावना भी कम होगी।	इस समरेखण मे भू–वैज्ञानिक द्वारा निरीक्षण करने पर 2–3 स्थानों पर भू–ध्साव होने ही आशंका व्यक्त की गई जिस कारण यह समरेखण उपयुक्त नही पाया गया।
वन एंव पर्यावरणीय दृष्टिकोण से	इस समरेखण मे न्यूनतम कुल 5.0300 है0 भूमि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक है। जिसमें आरक्षित वन भूमि मात्र 3.9550 है0 एवं सिविल सोयम भूमि 0.00 है0 प्रभावित हो रही हैं एंव विभिन्न प्राजाति 679 वृक्ष प्रभावित हो रहें है।	इस समरेखण में न्यूनतम कुल 4.7600 है0 भूमि परियोजना निर्माण के लिए आवश्यक है। जिसमें आरक्षित वन भूमि मात्र 4.0950 है0 सिविल सोयम भूमि 000 है0 प्रभावित हो रही हैं एंव विभिन्न प्राजाति 772 वृक्ष प्रभावित हो रहें है। जो कि अधिक होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त नही है।
सामाजिक दृष्टिकोण	इस समरेखण मे सडक मार्ग की लम्बाई 6.500 किमी0 होने के कारण समरेंखण–2 की अपेक्षाकृत कम है। जिससे स्थानीय निवासियों के समय की बचत होगी तथा वह अपने उपचार हेतु एंव कृषि उपज को कम समय व धन में शहर तक ले जा सकेगें। इस समरेखण से समस्त ग्रामवासी एंव जनप्रतिनिधि सहमत है। (सहमति पत्र संलग्न)	इस समरेखण में सडक मार्ग की लम्बाई 6.800 किमी0 होने के कारण समरेंखण–1 की अपेक्षाकृत अधिक है। जिससे स्थानीय निवासियों को अपने उपचार हेतु एंव कृषि उपज को शहर तक ले जाने में अधिक समय व धन व्यय होगा। इस समरेखण से समस्त ग्रामवासी एंव जनप्रतिनिधि सहमत नही है।
मितव्ययी दृष्टिकोण	इस समरेखण मे सडक मार्ग की लम्बाई 6.500 किमी0 आती है, एंव लागत 656.00 लाख आती है। जो कि समरेंखण–2 की अपेक्षा कम है।	इस समरेखण मे सडक मार्ग की लम्बाई 6.800 कि0मी0 आती है, एंव लागत 687.00 लाख आती है। जो कि समरेखण प्रथम की अपेक्षा अधिक है।

कनिष्ठ अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

सहायक अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0, लो0नि0वि0 देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी

उप–प्रभागीय वनाधिकारी
सहसपुर उप वन प्रभाग,
कालसी।

प्रभागीय वनाधिकारी
कालसी भू0सं0 वन प्रभाग,
कालसी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रमाण–पत्र

कार्य का नामः– जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की माजरा (हरिजन बस्ती) आमवाला, मल्लावाला–II से पीपलस्वार तक मूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.955 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान में ग्रामवासी लांघा–तौली मोटर मार्ग से लगभग 5 किमी0 पैदल चलकर आवागमन करते है। ग्रामवासियों के आवागमन हेतु केवल यही पैदल मार्ग है। उक्त मार्ग निर्माण हो जाने से ग्रामवासी अपनी कृषि उपज व अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं को आसानी से मण्डी एवं अन्य स्थानों पर पहुंचा सकते है।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
देहरादून

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

Phone - 0135-2729863

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Office of the Executive Engineer, Construction Division, P.W.D., Dehradun, Uttarakhand

Website-http://pwd.uk.gov.in E-mail: cecdpwddehra@rediffmail.com

पत्रांक 2924/ 26 सी० (वन भूमि) दिनांक 08/08/2022

सेवा में

प्रभागीय वनाधिकारी,
कालसी भूमि संरक्षण वन प्रभाग,
कालसी।

विषय – जनपद देहरादून के विकासखण्ड विकासनगर में ग्राम पंचायत पष्टा की मजरा (हरिजन बस्ती), आमवाला, मल्लावाला–।। से पीपलसार तक भूड से मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.366 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/126632/2021)

सन्दर्भ– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र संख्या–8बी0/U.C.P/06/14/F.C/1372 Dated 07-01-2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक वन भूमि प्रकरण में कतिपय आपत्तियां लगाई गई थी, जिनका निराकरण कर इस कार्यालय के पत्रांक 1702/25सी0 (वन0भूमि0) दिनांक 27.05.2022 द्वारा ऑन लाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी आपके कार्यालय को प्रेषित की गई थी। आपके कार्यालय द्वारा सन्दर्भित पत्र में वर्णित एक आपत्ति का सुसंगत निराकरण किए जाने हेतु इस कार्यालय को ऑनलाईन सूचित किया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा लगाई गई आपत्ति क्रमांक 2, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रस्ताव में पैरा बी0–1 में Filled Detailes विषयक प्रस्ताव के सापेक्ष प्रासंगिक (Relevant) रूप में Filled नहीं है। इस परिपेक्ष्य में अवगत कराना है कि इस कार्यालय द्वारा पोर्टल में भरा गया विवरण विधिक (Manual) रूप में अंकित (Filled) नहीं किया गया है, पोर्टल पर खुद ब खुद (Automatically) रूप से अन्य वन भूमि प्रकरण का विवरण Detailes अंकित (Filled) हो गया है, जिसके निराकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अतः अनुरोध है कि कृपया विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(डा० राजेश कुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून
दिनांक : / /2022

पत्रांक : /26 सी0 (वन भूमि)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री प्रदीप कुमार, सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून को सूचनार्थ एवं प्रकरण पर आवश्यक अनुश्रवण हेतु प्रेषित।
3. श्री श्रीचरण सिंह गुसाईं, श्री उत्तम सिंह रावत, खण्डीय अमीन, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० देहरादून को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner